भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **2317** जिसका उत्तर
शुक्रवार, 13 फ़रवरी, 2026/24 माघ, 1947 (शक) को दिया जाना है

जलवाहक योजना के अंतर्गत माल ढुलाई

† 2317. श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी :
श्री रमेश अवस्थी :
श्री प्रवीण पटेल :
श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल :
श्री तापिर गाव :
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जलवाहक योजना के अंतर्गत सड़क और रेल से अंतर्देशीय जलमार्गों पर स्थानांतरित किए गए माल ढुलाई की संख्या कितनी है;

(ख) क्या वर्ष 2027 तक 800 मिलियन टन-किमी माल ढुलाई स्थानांतरण का लक्ष्य पूरा होने की दिशा में अग्रसर है, यदि हां, तो 2025 में इस लक्ष्य को कितने प्रतिशत प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) दिसंबर वर्ष 2025 तक कोलकाता- वाराणसी (उत्तर पश्चिम-1) और कोलकाता -पांडू (उत्तर पश्चिम- 2) के बीच नियत दिन पर चलने वाली सेवाओं की संख्या कितनी है;

(घ) अपने माल का एक हिस्सा अंतर्देशीय जलमार्ग ढुलाई के लिए आवंटित करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की संख्या कितनी है; और

(ङ) क्या 300 किमी से अधिक दूरी तक माल परिवहन करने वाले निजी माल स्वामियों को वित्तीय प्रोत्साहन का भुगतान किया गया है, यदि हां, तो दिसंबर 2025 तक संवितरित की गई कुल राशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): 15.12.2024 को जलवाहक योजना के शुरू होने के बाद से ही इसके तहत इक्कीस (21) कार्गो शिपमेंट को सड़क/रेल के बजाए जलमार्ग से परिवहन किया गया है।

(ख): जलवाहक योजना के तहत अब तक 12.5 मिलियन टन-केएम कार्गो का परिवहन किया गया, जो लक्ष्य का 1.56% की उपलब्धि है।

(ग): अब तक राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (रा.ज.-1) पर चौदह (14) यात्राएं और राष्ट्रीय जलमार्ग-2 (रा.ज.-2) पर निर्धारित सेवा के तहत सात (7) यात्राएं पूरी की गई हैं।

(घ): स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अंतर्देशीय जल परिवहन के माध्यम से निर्धारित सेवाओं के तहत 300 मीट्रिक टन स्टील का परिवहन किया है।

(ङ): अब तक कोई प्रोत्साहन राशि संवितरित नहीं की गई है क्योंकि किसी भी पंजीकृत कार्गो मालिक ने जलवाहक योजना के वित्तीय प्रोत्साहन घटक के तहत कार्गो आवाजाही के लिए कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया है।
